



DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, (GOVT. OF NCT DELHI)
4,5TH FLOOR, ISBT BUILDING; KASHMERE GATE

No.DPCC/(3)(3)(8)/Admn-14/1678

Dated: 22/9/17

Please find enclosed herewith recruitment rules of following 26 categories of posts for uploading the same on official website:-

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Additional Director(Engg.) | 14. Programmer |
| 2. Sr. Environmental Engineer | 15. Law Officer |
| 3. Environmental Engineer | 16. Assistant Law Officer |
| 4. Asst. Environmental Engineer | 17. Legal Assistant |
| 5. Jr. Environmental Engineer | 18. Pr. Private Secy. |
| 6. Addl. Director(Scientist 'E') | 19. Private Secretary |
| 7. Scientist 'D' | 20. Steno Grade I |
| 8. Scientist 'C' | 21. Steno Grade II |
| 9. Scientist 'B' | 22. Administrative Officer |
| 10. Scientific Assistant | 23. Office Suptd. |
| 11. Sr. Laboratory Assistant | 24. Head Clerk |
| 12. Jr. Laboratory Assistant | 25. Upper Division Clerk |
| 13. System Analyst | 26. Lower Division Clerk |

Soft copy/PDF folders(20 in numbers) have also been forwarded to I.T. Cell email I.D. for further necessary action please.

CS
22/9/17

(Geeta Grover)
Admn. Officer

Sh. Pankaj Kabil, Incharge (I.T. Cell)

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]	दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2, 2017/भाद्र 11, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 238
No. 332]	DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2, 2017/BHADRA 11, 1939	[N.C.T.D. No. 238

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग
(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2017

सं. फा. डीपीसीसी/(3)(3)(8-17)/प्रशा.-14/1517.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :-** (i) इन विनियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता :-** कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :— जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	प्रशासनिक अधिकारी
2.	पदों की संख्या	:	* 2(2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग 'ख'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 9 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2, रुपये 9300-34800+ ग्रेड पे-5400/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	:	पदोन्नति:— वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2, रुपए 9300-34800+ ग्रेड पे-4600/-रुपए) के पद में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुभाग अधिकारी /कार्यालय अधीक्षक प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/ राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निम्नलिखित अधिकारी:— क. (1) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2, रुपए 9300-34800 + ग्रेड पे-4600/-रुपए) में पद में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले अथवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2, रुपये 9300-34800+ ग्रेड पे-4200/-रुपए) में पद में आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले या समकक्ष तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले : (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (2) पर्यवेक्षी क्षमता में प्रशासन, लेखा तथा स्थापना कार्य में पांच वर्ष

		का अनुभव। कार्मिक प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) नोट: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी शृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	विभागीय पदोन्नति समिति : (1) अध्यक्ष, डीपीसीसी— अध्यक्ष (2) एम एस, सीपीसीबी या उनका नामिती —सदस्य (3) एम एस, डीपीसीसी — सदस्य (4) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) — सदस्य (5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
(DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st September, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-17)/Admn-14/ 1517.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Administrative Officer in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

- Short title and commencement.**—(i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Administrative Officer Recruitment Regulations, 2017.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- Number of posts, classification and level in Pay Matrix.**—The number of said posts, their classification and level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualifications.**—No person,—
a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection Post or Non-selection Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrative Officer	*2(2017) *subject to variation depending on work-load.	Category 'B'	Level 9 of the pay matrix (Pre-revised Pay Band – 2; Rs.9300-34800 with Grade Pay Rs. 5400)	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Section Officer/Office Superintendent of DPCC with three years of regular service in post in the Level 7 of pay matrix (Pre-revised Pay Band – 2; Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4600). Deputation: Officers of Central / State Government/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a) (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) having atleast three years of regular service in posts in the Level 7 of pay matrix	Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Chairman, DPCC – Chairman. 2. MS, CPCB or his nominee – member. 3. MS, DPCC – Member. 4. Two Members of Delhi Pollution Control Committee (to be nominated by the Chairman) - Members. 5. Representative of SC/ST of GNCTD - Member	Not applicable.

(Pre-revised Pay Band – 2; Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs.4600) OR eight years of regular service in posts in the Level 6 of pay matrix (Pre-revised Pay Band – 2; Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4200) or equivalent; and (b) having the following: (i) Graduate from a recognized University. (ii) Five years experience of administration, accounts and establishment work in a supervisory capacity. Persons having Post-Graduate Diploma in Personal Management will be preferred. (Period of deputation shall not ordinarily exceed three years.) Note: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
--	--	--

सं. फा. डीपीसीसी/(3)(3)(8-12)/प्रशा0-14/1519:-जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **सिस्टम ऐनालिस्ट** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ:-**(i) इन विनियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति सिस्टम ऐनालिस्ट, भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-**उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि:-**उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता:-**कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :
उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।
- छूट प्रदान करने की शक्ति :-** जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव :-** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	सिस्टम ऐनालिस्ट
2.	पदों की संख्या	:	* 1(2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (पूर्व संशोधित 15600-39100/-रुपये जमा ग्रेड पे 6600/-रु.)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेश किया जाना है	:	पदोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3, रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे-5400/-रुपये) में पदों में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले प्रोग्रामर । टीप:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है और पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी विचारणीय होंगे, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक सेवा ऐसी निर्धारित अर्हक सेवा की आधी से अधिक या दो वर्ष जो भी इनमें कम हो, से कम न हो और अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च ग्रेड में अपनी पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । प्रतिनियुक्ति: (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/स्वायत्त निकाय /सांविधिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी (I) (1) नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3, रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे-5400/-रुपये) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरान्त पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित या समकक्ष । या (iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2, रुपये 9300-34800+ ग्रेड पे-4200/-रुपये) में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित । (II) निम्नलिखित योग्यताएं रखने वाले:

		क (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, अथवा एम टैक (कम्प्यूटर अनुप्रयोग में विशेषज्ञता सहित) अथवा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में बी ई/बी टैक उपाधि या समकक्ष (2) इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का पांच वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए । अथवा ख (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान में उपाधि, अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स/इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटेशन इंजीनियरिंग में उपाधि या समकक्ष (2) इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का सात वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए । अथवा ग (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि के समकक्ष (2) इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का आठ वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम चार वर्ष का अनुभव वास्तविक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में होना चाहिए । अथवा घ (1) डीओइएसीसी प्रोग्राम के अन्तर्गत 'ए' स्तरीय डिप्लोमा अथवा विश्वविद्यालय प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रदत्त कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पोस्ट पोलीटैक्नीक डिप्लोमा या समकक्ष (2) इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का आठ वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम चार वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए । नोट : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यता एवं अनुभव अध्यक्ष दिल्ली प्रदूषण समिति के विवेक पर शिथिलनीय (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) नोट : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए विचारणीय नहीं होंगे । इस प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होंगे ।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	विभागीय पदोन्नति समिति (1) अध्यक्ष, डीपीसीसी— अध्यक्ष (2) अध्यक्ष द्वारा दो नामित सदस्य—सदस्य (3) सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उनका नामित— सदस्य (4) सदस्य सचिव, डीपीसीसी – सदस्य (5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि – सदस्य
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं

No. DPCC/(3)(3)(8-12)/Admn-14/1519.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of System Analyst in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, System Analyst Recruitment Regulations, 2017.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.** - No person,-
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to the said posts:
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.
5. **Power to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection Post or Non-selection Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
System Analyst	*1(2017) *subject to variation depending on workload.	Category 'A'	Level 11 of pay matrix (Pre- revised Pay Band-3; Rs 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 6600).	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation (including short term contract)/ promotion.	Promotion Programmer with five years regular service in posts in level 10 in pay matrix (pre revised PB-3 Rs. 15600-39100 with Grade pay Rs. 5400).	Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Chairman, DPCC- Chairman. 2. Two members to be nominated by the Chairman — Members.	Not applicable.

	Note : Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualify/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. Deputation(including short term contract) Officers of Central/State Government /Union Territory/Recognized Research Institute/Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a)(i)holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years of regular service after appointment to the post on regular basis in level 10 of pay matrix (pre-revised PB-3 Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs. 5400 or equivalent ; Or (iii) With eight years regular service in the level 6 of pay matrix (pre-revised PB-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4200) or equivalent; and (b) Possessing the following qualification:- A (i) Master's degree in Computer application/Computer Science or M. Tech (with specialization in computer application) or BE/B.Tech in Computer Engg./Computer Science/Computer Technology of a recognised university or equivalent. (ii) Five years experience of electronic Data Processing out of which atleast two years experience should be in actual programming OR B (i) Degree in Computer Applications/Computer Science or Degree in Electronics/Electronics and Communication Engg. from a recognised University or equivalent. (ii) Seven years experience in Electronic Data Processing out of which , atleast three years experience should be in actual programming. OR C (i) Master's Degree of a recognized University or equivalent or Degree in Engg. of a recognzied University or equiavelent. (ii) Eight years experience of Electronic Data Processing out of which, atleast four years experience should be in actual computer programming. OR	3. Member Secretary, CPCB or his Nominee -Member. 4.Member Secretary, DPCC -Member. 5. Representative of SC/ST of GNCTD -Member.	
--	---	--	--

	D (i) 'A' Level Diploma under DOEACC Programme or Post Graduate Diploma in Computer Application offered under University Programme/Post Polytechnic diploma in Computer Application awarded by State Council of Technical Education or equivalent . (ii) eight years experience of Electronic Data Processing work out of which atleast four years experience should be in actual programming. Note : Qualification and Experience are relaxable at the discretion of Chairman Delhi Pollution Control Committee in case of candidates otherwise well qualified.” (Period of deputation shall not ordinarily exceed three years). Note: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
--	---	--	--

सं. फा. डीपीसीसी/(3)(3)(8-18)/प्रशा.-14/1521.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद् द्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में प्रोग्रामर के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :-** (i) इन विनियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रोग्रामर, भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता :-** कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

- छूट प्रदान करने की शक्ति :-** जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव :-** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	प्रोग्रामर
2.	पदों की संख्या	:	01* (2017) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग 'क'
4.	पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे मैट्रिक में स्तर-10 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3, 15,600-39,100/-रुपये + ग्रेड पे 5400/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	35 वर्ष से अधिक नहीं (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनु0जा0/ अनु0ज0जा0/अ0पि0व0/शारीरिक अक्षमता श्रेणी इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) टीप :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो। लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	क (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग /कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, अथवा एम. टैक. (कम्प्यूटर अनुप्रयोग में विशेषज्ञता सहित) अथवा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में बी. ई./बी. टैक. उपाधि या समकक्ष (2) वास्तविक प्रोग्रामिंग के अनुभव सहित इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसैसिंग कार्य का चार वर्षीय अनुभव, अथवा ख (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान में उपाधि, अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स /इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि या समकक्ष (2) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसैसिंग का पांच वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए। अथवा ग (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या समकक्ष (2) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसैसिंग का छह वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए। अथवा

			घ (1) डीओइएसीसी प्रोग्राम के अन्तर्गत 'ए' स्तरीय डिप्लोमा अथवा विश्वविद्यालय प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रदत्त कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पोस्ट पोलीटैक्नीक डिप्लोमा या समकक्ष (2) इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसैसिंग का छह वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए। नोट : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यता एवं अनुभव अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण समिति के विवेक पर शिथिलनीय।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेश द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेश किया जाना है	:	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी (क) (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा (2) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (पूर्व संशोधित पे बैंड-2, 9300-34800/-रुपये + ग्रेड पे- 4800/-रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में दो वर्ष की सेवा सहित। (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता रखने वाले: (नोट : केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के तुरन्त पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद से प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी)
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय चयन समिति (1) अध्यक्ष, डीपीसीसी- अध्यक्ष (2) अध्यक्ष द्वारा दो नामित सदस्य-सदस्य (3) सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उनका नामित- सदस्य (4) सदस्य सचिव, डीपीसीसी - सदस्य (5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिल्ली सरकार का प्रति. निधि - सदस्य

13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं
-----	--	---	-----------

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव,
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

No. DPCC/(3)(3)(8-13)/Admn-14/ 1521.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Programmer in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

- Short title and commencement.** - (i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Programmer Recruitment Regulations, 2017.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and level in Pay Matrix.** - The number of said posts, their classification and level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications.** - No person,-
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.
- Power to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band and grade pay/ scale of pay	Whether selection Post or Non-selection Post
1	2	3	4	5
Programmer	*1(2017) *subject to variation depending on work-load.	Category 'A'	Level 10 in the pay matrix (Pre-revised Pay Band-3; Rs 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 5400)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9
Not exceeding 35 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.) Note. – The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep.	A (i) Master's degree in Computer application/Computer Science or M. Tech (with specialization in computer application or BE/B.Tech in Computer Engg./ Computer Science/Computer Technology of a recognized university or equivalent. (ii) Four years experience of electronic Data Processing work including experience of actual programming. Or B (i) Degree in Computer Application/Computer Science or Degree in Electronics/Electronics and Communication Engineering From a recognized University or equivalent. (ii) Five years experience in Electronic Data Processing out of which , atleast two years experience should be in actual programming. Or C (i) Master's Degree of a recognized University or equivalent or Degree in Engg. of a recognized University or equivalent. (ii) Six years experience in Electronic Data Processing out of which, atleast three years experience should be in actual programming. Or D (i) 'A' Level Diploma under D.O.E.A.C.C. programme or Post Graduate Diploma in Computer application offered under University Programme/Post Polytechnic diploma in Computer Application awarded by State Council of Technical Education or equivalent. (ii) Six years experience in Electronic Data Processing, out of which atleast three years experience should be in actual programming. Note : Qualification and Experience are relaxable at the discretion of Chairman DPCC in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
By direct recruitment failing which by deputation.	DEPUTATION Officers under the Central/State Govts./Union Territories	Departmental Selection Committee comprising of :-	Not applicable.

	A (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 8 in pay matrix (Pre-revised Pay Band-2; Rs 9300-34800/- plus Grade Pay Rs. 4800/-). of equivalent in the parent cadre/department. (B) Possessing the education and other qualification as prescribed for direct recruits under column 7. Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or any other Organization/Department of Central Government should ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications;.	1. Chairman, DPCC -Chairman. 2. Two experts nominated by the Chairman -Members. 3. Member Secretary, CPCB or his nominee -Member. 4. Member Secretary, DPCC -Member. 5. Representative of SC/ST of GNCTD -Member.	
--	---	---	--

By Order and in the Name of Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi,

S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secretary,
Delhi Pollution Control Committee.

शुद्धिपत्र

दिल्ली, 1 सितम्बर, 2017

सं. डीपीसीसी/(3)(3)(8-4)/प्रशा.14/1523.—दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-IV जारी संख्या 143 दिनांक 7 अप्रैल, 2017 तथा फाईल संख्या डीपीसीसी/(3)(3)(8-4)/प्रशा.14/572 दिनांक 6 अप्रैल 2017 में प्रकाशित दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में सहायक पर्यावरणीय अभियन्ता के पद के भर्ती नियम से संबंधित अधिसूचना के आंशिक संशोधन में अंग्रेजी संस्करण के मुख्य भाग तथा पैरा 1 (i) जो कि प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित है, में शब्द 'साईंटिस्ट' एवं शब्द साईंटिस्ट 'बी' को बदल कर उस की जगह 'सहायक पर्यावरणीय अभियन्ता' को पूर्व प्रभाव से पढ़ा जाये। यह सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

CORRIGENDUM

Delhi, the 1st September, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-4)/Admn-14/1523.—In partial modification of notification regarding Recruitment Rules to the post of Assistant Environmental Engineer of Delhi Pollution Control Committee published in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV issued vide No. 143 dated 7th April, 2017 and F. No. DPCC/(3)(3)(8-11)/Admn-14/572 dated 6th April, 2017 in English version, the word "Scientist" in main para at page 1(English Version) and word "Scientist 'B'" in para 1(i) may be replaced and read as "Assistant Environmental Engineer" with retrospective effect.

This issues with the prior approval of Competent Authority.

S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.
Delhi Pollution Control Committee

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]

दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2017/चैत्र 17, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 11

No. 143]

DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2017/CHAITRA 17, 1939

[N.C.T.D. No. 11

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

दिल्ली, 06 अप्रैल, 2017

फा. सं. डीपीसीसी/(3)(3)(8-4)/प्रशा.-14/572.-जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30 अगस्त 1994 की अधिसूचना संख्या फा. 23(67)/92/पर्या./पीए/एमएस/डीपीसीसी/94/8 द्वारा प्रकाशित सहायक पर्यावरणीय अभियन्ता के पद से संबंधित दिल्ली प्रदूषण समिति, भर्ती नियमावली के अधिक्रमण में, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद् द्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में सहायक पर्यावरणीय अभियन्ता पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :-** (i) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति सहायक पर्यावरणीय अभियन्ता भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान :-** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यताएं :-** कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,
वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :— जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	सहायक पर्यावरणीय अभियन्ता
2.	पदों की संख्या	:	* 31(2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग 'क'
4.	पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बैंड-3, 15600-39100/-रूपये जमा ग्रेड पे-5400/-रूपए
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	35 वर्ष से अधिक नहीं (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अ0पि0व0/ शारिरिक अक्षमता इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) टीप :— आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	प्रदूषण नियंत्रण/संबंधित क्षेत्र में दो वर्षीय अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित क्षेत्र @ अभियांत्रिकी में उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि। @ अभियांत्रिकी के विशेष विषय के बारे में अपेक्षित उपाधि का निर्णय प्रत्येक बार वास्तविक मांग के आधार पर रिक्ति भरने के अनुसार अध्यक्ष के अनुमोदन से निर्णय लिया जाएगा।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	पदोन्नति वालों के लिये दो वर्ष तथा सीधी भर्ती वालों के लिये एक वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	(i) 50प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा (ii) 50प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	:	पदोन्नति:- पे बैंड-2, 9300-34800/-रुपये में ग्रेड पे 4200/-रुपये में आठ वर्षों की नियमित सेवा वाले कनिष्ठ पर्यावरणीय अभियन्ता। नोट: कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय पदोन्नति/स्थायीकरण समिति:- 1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि.-अध्यक्ष 2. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. (पर्या.)-सदस्य 3.उप-सचिव (पर्या.), रा.रा.क्षे.दि.स.-सदस्य 4.रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि-सदस्य 5. उप-सचिव (सेवाएं), रा.रा.क्षे.दि.स.-सदस्य विभागीय चयन समिति :- 1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि.-अध्यक्ष 2. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ- सदस्य 3. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उसका नामिति- सदस्य 4. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. (पर्या.)-सदस्य 5.रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि-सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

**DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
(Delhi Pollution Control Committee)**

NOTIFICATION

Delhi, the 6th April, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-4)/Admn-14./572.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and in supersession of the Delhi Pollution Control Committee, Recruitment Rules relating to the post of Scientist published vide Notification No. F.23(67)/92/Env./PA/MS/DPCC/94/8 dated the 30th August, 1994, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Assistant Environmental Engineer in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

- Short title and commencement. - (i)** These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Scientist 'B' Recruitment Regulations, 2017.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.** - The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications.** - No person,-
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.
5. **Power to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Posts.	Classification.	Pay band and grade pay/scale of pay.	Whether selection Post or Non-selection Post.
1	2	3	4	5
Assistant Environmental Engineer.	*31(2017) *subject to variation depending on workload.	Category 'A'.	Pay Band-3; Rs 15600-39100/- plus Grade Pay Rs.5400/-.	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not exceeding 35 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Government of	Degree in Engineering @ in related field, from a recognized University or Institution with two years experience in pollution control / related field. or Master's degree in Engineering from a recognized university. @The particular discipline(s) of Engineering in which a degree is required will be decided each	Not applicable.	Two years for promotees and one year for direct recruits.	(i) 50% by promotion failing which by direct recruitment; (ii) 50% by direct recruitment.

India from time to time.) Note. – [The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep].	time a vacancy is filled depending on the actual requirements, with the approval of Chairman.			
---	---	--	--	--

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion /deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Junior Environmental Engineer with eight years in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-2, Rs.9300-34800/- with grade pay Rs. 4200/-. Note: Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualify/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service.	Departmental Promotion/Confirmation Committee Consisting of:- 1.Chairman, DPCC - Chairman 2.MemberSecretary,DPCC -Member 3.D.S(Env.),GNCTD- -Member 4.Representative of SC/ST of GNCTD Member 5.D.S.(Services),GNCTD - Member Departmental Selection Committee:- 1.Chairman, DPCC- -Chairman 2.TwoexpertsnominatedbytheChairman -Members 3.Member Secretary, CPCB or his nomine -Member 4.Member Secretary, DPCC -Member 5.Representative of SC/ST of GNCTD - Member.	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secretary(Env.)-cum-Member Secretary

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]	दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2017/चैत्र 17, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 08
No. 140]	DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2017/CHAITRA 17, 1939	[N.C.T.D. No. 08

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2017

फा.सं. डीपीसीसी / (3)(3)(8-3) / प्रशा.-14 / 574.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30 अगस्त, 1994 की अधिसूचना संख्या फा. 23(67)/92/पर्या0/पीए/एमएस/डीपीसीसी/94/8 द्वारा प्रकाशित पर्यावरणीय अभियन्ता के पद से संबंधित दिल्ली प्रदूषण समिति, भर्ती नियमावली के अधिकमण में, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में पर्यावरणीय अभियन्ता पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(i) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर्यावरणीय अभियन्ता भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यताएं.**—कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;
या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,
वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**—जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव.**—इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	पर्यावरणीय अभियन्ता
2.	पदों की संख्या	:	* 13 (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग 'क'
4.	पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बैंड-3, 15600-39100/-रुपये जमा ग्रेड पे-6600/-रुपए
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	40 वर्ष से अधिक नहीं (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनु0जा0/ अनु0ज0जा0/अ0पि0व0/शारिरिक अक्षमता इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) टीप :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न , हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	प्रदूषण नियंत्रण/संबंधित क्षेत्र में आठ वर्षीय अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित क्षेत्र अभियांत्रिकी* में स्नातक की उपाधि, परन्तु यह अनुभव स्नातक उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् हो। अथवा प्रदूषण नियंत्रण/संबंधित क्षेत्र में छह वर्षीय अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित क्षेत्र अभियांत्रिकी* में स्नातकोत्तर उपाधि, परन्तु यह अनुभव स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् हो। * अभियांत्रिकी के विशेष विषय के बारे में अपेक्षित उपाधि का निर्णय प्रत्येक बार वास्तविक मांग के आधार पर रिक्ति भरने के अनुसार अध्यक्ष के अनुमोदन से निर्णय लिया जाएगा।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु: नहीं शैक्षणिक योग्यता : हाँ
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	एक वर्ष

10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	(i) 80 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	:	पदोन्नति:- पे बैंड-3, 15600-39100/-रुपये-ग्रेड पे 5400/-रुपये में पाँच वर्षों की नियमित सेवा जो कि नियुक्ति के पश्चात् हो, वाले सहायक पर्यावरणीय अभियन्ता। नोट: कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/सांवाधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निम्नलिखित अधिकारी:- क. (1) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) पे बैंड-3, 15600-39100 रु., ग्रेड पे 5400 रुपये सहित पदों में कम से कम पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले अथवा समकक्ष तथा (ख) कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले टीप: केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। (भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय पदोन्नति समिति:- 1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि.—अध्यक्ष 2. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उनका नामिती— सदस्य 3. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. —सदस्य 4. रा0रा0क्षे0दि0स0 का अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि— सदस्य विभागीय चयन समिति :- 1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि. —अध्यक्ष 2. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ —सदस्य 3. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उसका नामिती —सदस्य 4. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. —सदस्य 5. रा. रा. क्षे. दि. स. का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि —सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से और उनके नाम पर,

एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

(DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-3)/Admn-14./574.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and in supersession of Delhi Pollution Control Committee, Recruitment Rules relating to the post of Environmental Engineer published vide Notification No. F. 23(67)/92/Env./PA/MS/DPCC/94/8 dated the 30th August, 1994, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Environmental Engineer in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Environmental Engineer Recruitment Regulations, 2017.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.**—The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band and grade pay/scale of pay.	Whether selection Post or Non-selection Post.
1	2	3	4	5
Environmental Engineer	13*(2017) *subject to variation depending on workload.	Category 'A'	Pay Band-3, Rs 15600-39100/- plus Grade Pay Rs. 6600/-	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Not exceeding 40 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and Government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep.	Bachelor's Degree in Engineering* in related field, from a recognized University or Institution with eight years experience in pollution control or related field subject to after acquiring the Bachelor's Degree. or Master's degree in Engineering* in related field, from a recognized University or Institution with six years experience in pollution control or related field subject to after acquiring the Master's Degree. *The particular discipline(s) of Engineering in which a degree is required will be decided each time a vacancy is filled depending on the actual requirements, with the approval of the Chairman, DPCC.	Age : No E.Q. : Yes	One year	(i) 80% by promotion failing which by deputation; (ii) 20% by deputation failing which by Direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: Assistant Environmental Engineer with five years in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay Band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay Rs. 5400/-. Note : Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualify/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation: Officers of Central/State Government/Autonomous bodies/ Statutory Bodies/PSUs: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) having atleast five years of regular service in posts in Pay Band-3, Rs. 15600-39100/- with grade pay Rs. 5400/- or equivalent; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7). Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or any other Organization/Department of Central Government should	Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Chairman, DPCC —Chairman 2. Member Secretary, CPCB or his nominee—Member. 3. Member Secretary, DPCC —Member 4. Representative of SC/ST of GNCTD—Member Departmental Selection Committee consisting of :— 1. Chairman, DPCC —Chairman 2. Two experts nominated by the Chairman —Members 3. Member Secretary, CPCB or his nominee —Member 4. Member Secretary, DPCC —Member 5. Representative of SC/ST of GNCTD —Member.	Not applicable.

ordinarily not exceed three years.

The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications;

The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2016/पौष 5, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 283
No. 284]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2016/PAUSA 5, 1938	[N.C.T.D. No. 283

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2016

फा. सं. डीपीसीसी/(3)(3)(8-19)/प्रशा.-14/3535.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30 अगस्त, 1994 की अधिसूचना सं. फा. 23(67)/92/पर्या./पीए/एमएस/डीपीसीसी/94/8 के अनुसार प्रकाशित मुख्य लिपिक/सहायक के पद से संबंधित दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, भर्ती नियमावली के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **मुख्य लिपिक/सहायक** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(I) इन विनियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति **मुख्य लिपिक/सहायक**, भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।
(II) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यताएं.—**कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;

या

(ख) जिसने अपने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**—जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।6. **बचाव.**—इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।**अनुसूची**

- | | |
|---|---|
| 1. पदनाम | : मुख्य लिपिक/सहायक |
| 2. पदों की संख्या | : * 10 (2016)
* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। |
| 3. वर्गीकरण | : वर्ग 'ख' |
| 4. पे बेंड, ग्रेड पे/वेतनमान | : पे बेंड—2, रुपये 9300—34800+ग्रेड पे—4200/—रुपए |
| 5. क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद | : गैर चयन |
| 6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा | : 30 वर्ष से अधिक नहीं
(समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग इत्यादि की स्थिति में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) |

नोट:— आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।

7. **सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ** : अनिवार्य :—

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि

वांछनीय:

कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान

8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। : लागू नहीं
9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई ह : दो वर्ष
10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत : (1) 33-1/2% सीधी भर्ती द्वारा
(2) 66-2/3% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11. यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है : पदोन्नति:-
पे बैंड-1 (5200-20200/- रुपये) ग्रेड पे- 2400/- रुपये में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक।
प्रतिनियुक्ति :
केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन/सांवधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निम्नलिखित अधिकारी:-
क. (1) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा
(2) पे बैंड-1 5200-20200/-रुपये ग्रेड पे 2400/-रुपये में पदों में नियमित आधार पर कम से कम दस वर्ष की सेवा वाले या समकक्ष; तथा
(ख) कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले
(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)
नोट: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? : विभागीय स्थायीकरण/पदोन्नति समिति
(1) अध्यक्ष, डीपीसीसी- अध्यक्ष
(2) सदस्य सचिव, डीपीसीसी- सदस्य

(3) उप-सचिव (पर्या.)— सदस्य

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

(5) सेवा विभाग का प्रतिनिधि— सदस्य

13. वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ : लागू नहीं
लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना
है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
एस. एम. अली, विशेष-सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
(DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2016

No. DPCC/(3)(3)(8-19)/Admn-14/3535.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and in supersession of Delhi Pollution Control Committee, Recruitment Rules relating to the post of Head Clerk/Assistant published vide Notification No. F. 23(67)/92/Env./PA/MS/DPCC/94/8 dated the 30th August, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with the prior approval of the Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the regulations regarding method of recruitment for the post of Head Clerk/Assistant in the Delhi Pollution Control Committee, as following, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (I) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Head Clerk/Assistant Recruitment Regulations, 2016.

II. They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.** - The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications.** - No person,-
a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to the said posts:
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.
5. **Power to Relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Posts.	Classification.	Pay band and grade pay/ scale of pay.	Whether selection Post or Non-selection Post.
1	2	3	4	5
Head Clerk/ Assistant.	*10(2016) *subject to variation dependent on workload.	Category 'B'.	Pay Band-2; Rs 9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4200/-	Non-selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not exceeding 30 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.) Note. – [The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep].	Essential: Bachelor's Degree from a recognized university. Desirable: Basic Knowledge of Computer.	Not applicable.	Two years.	(i) 33-½% by Direct Recruitment; (ii) 66-2/3% by Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13

Promotion: Upper Division Clerks with ten years in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-1, (Rs. 5200-20200) with GP Rs. 2400/-. Deputation: Officers of Central / State Government/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) having atleast ten years of regular service in posts in the Pay Band-1, Rs 5200-20200/- with Grade Pay of Rs.2400/-, or equivalent; and (b) possessing the qualifications and experience laid down for direct recruits in Column (7). (Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years.) Note: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Departmental Confirmation/ Promotion Committee consisting of: 1.Chairman, DPCC- Chairman 2.Member Secretary, DPCC- Member 3.D.S (Env.)- Member. 4.Representative of SC/ST of GNCTD - Member. 5.Representative of Services Department -Members.	Not applicable.
---	---	------------------------

By Order and in the Name of Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 6, 2016/भाद्र 15, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 176
No. 188]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2016/BHADRA 15, 1938	[N.C.T.D. No. 176

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

दिल्ली, 5 सितम्बर, 2016

सं. फा. डीपीसीसी(3)(3)(8-11)/प्रशा.-14/2031.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद् द्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(I) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।
(II) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यताएं.**—कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने अपने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,
वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति**—जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव**—इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1. **पदनाम** : **कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक**
2. **पदों की संख्या** : * 8(2016)
*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3. **वर्गीकरण** : वर्ग 'ग'
4. **पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान** : पे बैंड-1, 5200-20200/-रुपये जमा
ग्रेड पे-1900/-रुपए
5. **क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद** : गैर-चयन
6. **सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा** : 18-27 वर्ष
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. शारिरिक अक्षमता इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय)
टीप—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)
7. **सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ** : मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विधा में बारवी कक्षा उत्तीर्ण सहित प्रयोगशाला कार्यों में तीन वर्ष का अनुभव।
अथवा
मान्यताप्राप्त विष्वविद्यालय/संस्थान से विज्ञान में डिग्री।
8. **क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।** : आयु: नहीं।
शैक्षणिक योग्यता: हाँ।
9. **परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है** : दो वर्ष
10. **भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत** : (1) 20 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा;
(2) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
11. **यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है** : पदोन्नति:—
पे बैंड-1 में 5200-20200/-रुपये, ग्रेड पे 1800/-रुपये में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रयोगशाला अनुचर।
12. **यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?** : विभागीय स्थायीकरण/पदोन्नति समिति:—
1. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि.—अध्यक्ष
2. उपसचिव (पर्या.)—सदस्य
3. प्रशासनिक अधिकारी, दि.प्र.नि.समि.—सदस्य
4. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ—सदस्य
13. **वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।** : लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
(DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2016

No. DPCC/(3)(3)(8-11)/Admn-14/2031.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Junior Laboratory Assistant in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(I) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Junior Laboratory Assistant Recruitment Regulations, 2016.
II. They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.**—The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications.**—No person,-
a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to the said posts:
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.
5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/ pay scale .	Whether Selection Post or Non-Selection Post.
1	2	3	4	5
Junior Lab Assistant.	*8 (2016) * subject to variation dependent on workload.	Category 'C'.	Pay Band PB-1; Rs 5200-20200/- . plus Grade Pay Rs.1900/-.	Non-Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Between 18-27 years (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul&Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep]	12th class pass with Science stream from a recognised Board with three years experience in laboratory works. OR Degree in Science from the recognized University/ Institution.	Age:No. Educational Qualification : Yes.	Two years.	(1) 20% by promotion failing which by direct recruitment; (2) 80% by direct recruitment .

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Lab Attendant of DPCC with three years regular service in the pay band PB-1; Rs 5200- 20200/- with Grade Pay Rs 1800/-.	Departmental Confirmation/ Promotion Committee consisting of: 1. MS, DPCC - Chairman. 2. D.S (Env.) – Member. 3. Administrative Officer, DPCC – Member. 4. Two experts to be nominated by Chairman – Members.	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-member. Secy.

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2017/वैशाख 15, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 38
No. 165]	DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2017/VAISAKHA 15, 1939	[N.C.T.D. No. 38

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

दिल्ली, 4 मई, 2017

फा. सं. डीपीसीसी/(3)(3)(8-1)/प्रशा.-14/726.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में अतिरिक्त निदेशक (अभियन्ता) के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :-** (i) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अतिरिक्त निदेशक (अभियन्ता) भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान :-** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यताएं :-** कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;
या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :- इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	अतिरिक्त निदेशक (अभियन्ता)
2.	पदों की संख्या	:	* 02 (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग 'क'
4.	पे बँड, ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बँड-4, 37400-67000/-रुपये जमा ग्रेड पे-8700/-रुपए (पूर्व स"पेधित)
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	:	पदोन्नति:- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में पे बँड-3, 15600-39100/-रुपये में 7600/-रुपये ग्रेड पे वाले वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियन्ता के पद में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित निम्नलिखित योग्यता रखने वाले : अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि अथवा समकक्ष
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय पदोन्नति समिति:- 1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि.-अध्यक्ष 2. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो सदस्य- सदस्य

		3. सदस्य सचिव, के.प्र.नि.बो. या उसका नामिती-सदस्य 4. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि .-सदस्य 5. रा0रा0क्षे0दि0स0 का अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि- सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

(Delhi Pollution Control Committee)

NOTIFICATION

Delhi, the 4th May, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-1)/Admn-14/726.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Additional Director (Engineering) in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

- Short title and commencement.** - (i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Additional Director (Engineering) Recruitment Regulations, 2017.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.** - The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications.** - No person,-
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to the said posts:
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.
- Power to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ pay scale	Whether Selection Post or Non-Selection Post
1	2	3	4	5
Additional Director (Engineering).	*2(2017) * subject to variation dependent on workload.	Category 'A'.	Pay Band-4, Rs 37400-67000 plus Grade Pay Rs.8700/-. (Pre-revised)	Selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion.

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Having five years regular service in the post of Senior Environmental Engineer in the pay Band -3, Rs 15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/- in Delhi Pollution Control Committee having the following qualification: Bachelor's degree in Engineering Technology or equivalent.	Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Chairman, DPCC -Chairman. 2. Two members to be nominated by the Chairman -Members. 3. Member Secretary, CPCB or his Nominee -Member. 4. Member Secretary, DPCC -Member. 5. Representative of SC/ST of GNCTD -Member.	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi,

S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.

अधिसूचना

दिल्ली, 4 मई, 2017

फा. सं. डीपीसीसी/(3)(3)(8-26)/प्रशा.-14/728.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में अतिरिक्त निदेशक (वैज्ञानिक 'ई') के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :—(i) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अतिरिक्त निदेशक (वैज्ञानिक 'ई') भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।

- (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान** :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यताएं** :- कोई भी व्यक्ति,
- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;

या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :- इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	अतिरिक्त निदेशक (वैज्ञानिक 'ई')
2.	पदों की संख्या	:	* 01 (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग 'क'
4.	पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बैंड-4, 37400-67000/-रुपये जमा ग्रेड पे-8700/-रुपए (पूर्व स"ोधित)
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं

9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भर जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	:	पदोन्नति:— दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में पे बैंड-3, 15600-39100/-रुपये में 7600/-रुपये ग्रेड पे वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर-II (वैज्ञानिक 'डी') के पद पर पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले । प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय/ राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/सांवधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निम्नलिखित अधिकारी:— क. (1) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) पे बैंड-3 15600-39100/-रुपये ग्रेड पे 7600/-रुपये के पद में नियमित आधार पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा रखने वाले या समकक्ष; तथा (ख) विज्ञान में मास्टर डिग्री धारी सहित प्रदूषण नियंत्रण या संबंधित विषय में कम से कम पन्द्रह वर्षों का अनुभव रखने वाले अथवा विज्ञान में डॉक्टर की उपाधि सहित प्रदूषण नियंत्रण या संबंधित विषय में कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले । टीप: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी । नोट: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी शृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे ।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय पदोन्नति समिति:— 1. अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि.—अध्यक्ष 2. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो सदस्य— सदस्य 3. सदस्य सचिव, के.प्र.नि.बो. या उसका नामिती—सदस्य 4. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि.—सदस्य 5. रा0रा0क्षे0दि0स0 का अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि— सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

NOTIFICATION

Delhi, the 4th May, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-26)/Admn-14/728.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Additional Director (Scientist 'E') in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Additional Director (Scientist 'E') Recruitment Regulations, 2017.
(ii). They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.** - The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications.** - No person,-
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.
5. **Power to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/ pay scale .	Whether Selection Post or Non-Selection Post.
1	2	3	4	5
Additional Director (Scientist 'E').	*1(2017) * subject to variation dependent on workload.	Category 'A'.	Pay Band-4, Rs 37400-67000 plus Grade Pay Rs.8700/- (Pre-revised)	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.	Period of probation,if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by Deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Having five years experience in the post of Senior Scientist Level –II (Scientist D) in the pay Band PB-3, Rs 15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/- in Delhi Pollution Control Committee. Deputation: Officers of Central / State Government/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis, or (ii) Having atleast five years regular service in the post in the Pay Band PB-3, Rs 15600-39100/- with Grade Pay Rs.7600/- or equivalent, and (b) possessing Master's degree in Science having atleast fifteen years of experience in pollution control or related subjects. OR Doctorate in Science having atleast ten years of experience in pollution control or related subjects. Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or any other Organization/Department of Central Government should ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications;. The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Chairman, DPCC -Chairman. 2. Two members to be nominated by the Chairman -Members. 3. Member Secretary, CPCB or his Nominee -Member. 4. Member Secretary, DPCC -Member. 5. Representative of SC/ST of GNCTD -Member.	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.

अधिसूचना

दिल्ली, 4 मई, 2017

फा. सं. डीपीसीसी/(3)(3)(8-15)/प्रशा.-14/730.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **सहायक विधि अधिकारी** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :- (i) इन विनियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के **सहायक विधि अधिकारी**, भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान** :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता** :- कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

- छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
- बचाव** :- इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	सहायक विधि अधिकारी
2.	पदों की संख्या	:	* 03 (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग 'ख'
4.	पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बैंड-2, रुपये 9300-34800+ ग्रेड पे-4600/-रुपए (पूर्व संशोधित)
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी इत्यादि की स्थिति में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये विधिलनीय)

			नोट:- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहोल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	(1) किसी मान्यता प्राप्त वि"वविद्यालय/संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि (2) विधिक प्रैक्टिशनर के रूप में दो वर्ष का अनुभव या सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में विधिक कार्य का एक वर्ष का अनुभव
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु: नहीं शैक्षणिक योग्यता : हाँ
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।	:	सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	(i) 66-2/3 प्रति"त पदोन्नति द्वारा (ii) 33-1/2 प्रति"त सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	:	पदोन्नति :- पे बैंड-2, रुपये 9300-34800+ ग्रेड पे-4200/-रुपए में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले विधि सहायक टीप : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय/ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्र"ासन या केन्द्रीय/राज्य स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकायों के निम्नलिखित अधिकारी:- क. (1) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) पे बैंड-2, 9300-34800/-रुपये ग्रेड पे 4200/-रुपये के पद में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले;

			तथा (ख) कालम (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) नोट: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी शृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय स्थायीकरण/पदोन्नति समिति (1) अध्यक्ष, डीपीसीसी— अध्यक्ष (2) सदस्य सचिव, डीपीसीसी— सदस्य (3) उप-सचिव(पर्या0)— सदस्य (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि – सदस्य (5) उप-सचिव (सेवा विभाग), दिल्ली सरकार— सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

NOTIFICATION

Delhi, the 4th May, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-15)/Admn-14/730.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of the Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Assistant Law Officer in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

- Short title and commencement.** - (i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Assistant Law Officer Recruitment Regulations, 2017.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.** - The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications.** - No person,-

 - Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
 - Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Posts.	Classification.	Pay band and grade pay/ scale of pay.	Whether selection Post or Non-selection Post.
1	2	3	4	5
Assistant Law Officer.	*3(2017) *subject to variation dependent on workload.	Category 'B'.	Pay Band-2; Rs 9300-34800/- plus Grade Pay Rs. 4600/-. (Pre-revised)	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not exceeding 30 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.) Note. – [The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep].	(i) Bachelor's Degree in Law from a recognized University/ Institution (ii) Two years experience as Legal practitioner, or One year experience in handling legal work in a Government Department/PSU.	Age : No. Educational Qualification : Yes.	Two years for direct recruits.	(i) 66-2/3% by promotion; (ii) 33-1/2% by direct recruitment failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Legal Assistant with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay Band-2; Rs 9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4200/-. Note : Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualify/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government / State Governments / Union Territory Administrations or Central / State Autonomous or Statutory bodies; (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) having atleast five years of regular service in posts in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800/-with Grade Pay of Rs.4200/- and (b) possessing the qualifications and experience laid down for direct recruits in Column (7). (Period of deputation shall not ordinarily exceed three years). Note: The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Departmental Confirmation/ Promotion Committee consisting of: 1. Chairman, DPCC -Chairman 2. Member Secretary , DPCC -Member. 3. D.S (Env.), GNCTD -Member. 4. Representative of SC/ST of GNCTD -Member. 5. D.S.(Services), GNCTD -Member.	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi,

S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.

अधिसूचना

दिल्ली, 4 मई, 2017

फा. सं. डीपीसीसी/(3)(3)(8-5)/प्रशा.-14/732.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30 अगस्त 1994 की अधिसूचना संख्या फा. 23(67)/92/पर्या0/पीए/एमएस/ डीपीसीसी/94/8 द्वारा प्रकाशित कनिष्ठ पर्यावरणीय अभियन्ता के पद से संबंधित दिल्ली प्रदूषण समिति, भर्ती नियमावली के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिये हटाये जाने वाली बातों को छोड़कर, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **कनिष्ठ पर्यावरणीय अभियन्ता** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :-** (i) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के **कनिष्ठ पर्यावरणीय अभियन्ता** भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान :-** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यताएं :-** कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;
या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,
वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :
उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।
- छूट प्रदान करने की शक्ति :-** जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
- बचाव :-** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	कनिष्ठ पर्यावरणीय अभियन्ता
2.	पदों की संख्या	:	* 48 (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग 'ख'
4.	पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बैंड-2, 9300-34800/-रुपये जमा ग्रेड पे-4200/-रुपए (पूर्व संशोधित)
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों)

		के अनुसार अनु0जा0 / अनु0ज0जा0 / अ0पि0व0 / "गरीरक अक्षमता इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) टीप :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	: किसी मान्यता प्राप्त वि"वविद्यालय या संस्थान से संबंधित क्षेत्र अभियांत्रिकी* में स्नातक की उपाधि या (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/वि"वविद्यालय या संस्थान से संबंधित क्षेत्र अभियांत्रिकी* में तीन वर्ष का डिप्लोमा; (ii) प्रदूषण नियंत्रण गतिविधि/सीवरेज कार्यों में तीन वर्ष का अनुभव *अभियांत्रिकी के वि"ष विषय के बारे में अपेक्षित उपाधि का निर्णय प्रत्येक बार वास्तविक मांग के आधार पर रिक्ति भरने के अनुसार अध्यक्ष के अनुमोदन से निर्णय लिया जाएगा।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	: दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	: लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	: विभागीय स्थायीकरण समिति:- 1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि.-अध्यक्ष 2. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि.- सदस्य 3. उप सचिव (पर्या0), रा0रा0क्षे0दि0स0 -सदस्य 4. रा0रा0क्षे0दि0स0 का अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि- सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

NOTIFICATION

Delhi, the 4th May, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-5)/Admn-14/732.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and in supersession of the Delhi Pollution Control Committee, Recruitment Rules relating to the post of Junior Environmental Engineer published vide Notification No. F.23(67)/92/Env./PA/MS/DPCC/94/8 dated the 30th August, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with the prior approval of Hon'ble Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the regulations regarding method of recruitment for the post of Junior Environmental Engineer in the Delhi Pollution Control Committee, as following namely:-

1. **Short title and commencement.** - (i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Junior Environmental Engineer Recruitment Regulations, 2017.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.** - The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications.** - No person,-
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Posts.	Classification.	Pay band and grade pay/scale of pay.	Whether selection Post or Non-selection Post.
1	2	3	4	5
Junior Environmental Engineer.	*48(2017) *subject to variation dependent on workload.	Category 'B'.	Pay Band-2; Rs 9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4200/-. (Pre-revised)	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not exceeding 30 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.) Note. – [The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul & Spiti district and Pangl Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep].	Degree in Engineering* in related field from a recognized University or Institution OR (i) 3 years Diploma in Engineering* in a related field from a recognized Board/ University or Institution; (ii) 3 years experience in pollution control activity/sewerage works. *The particular discipline(s) of engineering in which a Degree/Diploma is required will be decided each time a vacancy is filled, depending on the actual requirements with the approval of Chairman.	Not applicable.	Two years.	By Direct Recruitment.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee consisting of: - Chairman, DPCC -Chairman - Member Secretary, DPCC -Member - D.S (Env.), GNCTD -Member. - Representative of SC/ST of GNCTD -Member.	Not applicable

By Order and in the Name of Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.

अधिसूचना

दिल्ली, 4 मई, 2017

फा. सं. डीपीसीसी/(3)(3)(8-14)/पशा.-14/734.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **विधि अधिकारी** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :-** (i) इन विनियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के **विधि अधिकारी**, भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
(ii). ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान :-** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता :-** कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :
उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।
- छूट प्रदान करने की शक्ति :-** जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
- बचाव :-** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	विधि अधिकारी
2.	पदों की संख्या	:	* 01 (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग 'क'
4.	पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बैंड-3, 15600-39100/-रुपये जमा ग्रेड पे-6600/-रुपए (पूर्व सं"ोधित)
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	40 वर्ष तक (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनु0जा0/ अनु0ज0जा0/अ0पि0व0/ "ारिरिक अक्षमता इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय)

		टीप :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहोल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि (ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत योग्यता प्राप्त विधिक प्रैक्टिशनर के रूप में जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मामलों में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि के साथ पर्यवेक्षी स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मामलों में कानूनी सलाह प्रदान करने में कम से कम दस वर्ष का अनुभव वाले को वरीयता दी जाएगी। <u>वांछनीय</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में स्नातकोत्तर की उपाधि
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।	पदोन्नति तथा सीधी भर्ती वालों के लिये लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	पदोन्नति :- पे बैंड-2, रुपये 9300-34800+ ग्रेड पे-4600/-रुपए में सात वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक विधि अधिकारी प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय/ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या केन्द्रीय/राज्य स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकायों के निम्नलिखित अधिकारी:- क. (1) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) पे बैंड-3 9300-34800/-रुपये ग्रेड पे 4600/-रुपये के पद में कम से कम सात वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले;

		तथा (ख) कालम (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) नोट: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	विभागीय पदोन्नति समिति 1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि.—अध्यक्ष 2. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उनका नामिती— सदस्य 3. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. —सदस्य 4. रा0रा0क्षे0दि0स0 का अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि— सदस्य विभागीय चयन समिति :- 1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि.—अध्यक्ष 2. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो वि०षज्ञ— सदस्य 3. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उसका नामिती— सदस्य 4. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि.— सदस्य 5. रा0रा0क्षे0दि0स0 का अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि— सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

NOTIFICATION

Delhi, the 4th May, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-14)/Admn-14/734.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) read with clause (i) of section 2 of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Law Officer in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Law Officer Recruitment Regulations, 2017.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.** - The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications.** - No person,-
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Posts.	Classification.	Pay band and grade pay/ scale of pay.	Whether selection Post or Non-selection Post.
1	2	3	4	5
Law Officer	*1(2017) *subject to variation dependent on workload.	Category 'A'.	Pay Band-3; Rs 15600-39100/- plus Grade Pay Rs. 6600/-. (Pre-revised)	Selection

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Upto 40 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Government of India from time to time.) Note. – The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul & Spiti district and Pangti Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep.	Essential: (i) Bachelor's Degree in Law from a recognized University/ Institution. (ii) Should be a qualified Legal practitioner i.e. Advocate (within the meaning of Advocate Act, 1961) who has practiced as such for not less than ten years preferably in the cases relating to Pollution Control OR Bachelor's degree in Law from a recognized University with not less than ten years experience in rendering legal advice, preferably in matters relating to Pollution control in a supervisory level. Desirable : LLM from a recognized university/institution.	No	Two years (for promotes and Direct recruits only)	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Assistant Law Officers in the Pay Band PB-2; Rs 9300-34800/- Grade plus Pay Rs.4600/- with seven years of regular service in the grade. Deputation: Officers of the Central Government / State Governments / Union Territory Administrations or Central / State Autonomous or Statutory bodies; (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) having atleast seven years of regular service in posts in Rs 9300-34800/- Grade plus Pay Rs.4600/- and (b) possessing the qualifications and experience laid down for direct recruits in Column (7). (Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years). Note: The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Departmental Promotion Committee:- 1. Chairman, DPCC -Chairman. 2. Member Secretary, CPCB or his nominee -Member. 3. Member Secretary, DPCC -Member. 4. Representative of SC/ST of GNCTD -Member. Departmental Selection Committee:- 1. Chairman, DPCC -Chairman. 2. Two experts nominated by the Chairman -Members. 3. Member Secretary, CPCB or his nominee -Member. 4. Member Secretary, DPCC -Member. 5. Representative of SC/ST of GNCTD -Member.	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 6, 2016/भाद्र 15, 1938

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 173

No. 185]

DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2016/BHADRA 15, 1938

[N.C.T.D. No. 173

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2016

सं० फा० डीपीसीसी(3)(3)(8-21)/प्रशा०-14/2025.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30 अगस्त 1994 की अधिसूचना संख्या फा. 23(67)/92/पर्या०/पीए/एमएस/डीपीसीसी/94/8 द्वारा प्रकाशित **अवर श्रेणी लिपिक** के पद से संबंधित दिल्ली प्रदूषण समिति, भर्ती नियमावली के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाये जाने वाली बातों को छोड़कर, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **अवर श्रेणी लिपिक** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :-** (I) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति **अवर श्रेणी लिपिक** भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।
(II) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान :-** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यताएं :-** कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;

या

(ख) जिसने अपने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :- इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1. **पदनाम** : **अवर श्रेणी लिपिक**
2. **पदों की संख्या** : * 33(2016)
* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3. **वर्गीकरण** : वर्ग 'ग'
4. **पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान** : पे बैंड-1, 5200-20200/-रूपये जमा
ग्रेड पे-1900/-रूपए
5. **क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद** : गैर-चयन
6. **सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा** : 18-27 वर्ष
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अ0पि0व0/शारिरिक अक्षमता इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय)
टीप :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)
7. **सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ** : **अनिवार्य** :-
(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से बारवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।
(ख) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के समानान्तर होते हैं जो प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन की औसत पर हैं)
8. **क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं** : लागू नहीं।

आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी

9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है : दो वर्ष
10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत : (1) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
(2) 15 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11. यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है : पदोन्नति:-
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में कार्यरत वर्ग 'ग' कर्मचारियों में से होगी जो पे बैंड-1 में 5200-20200/-रूपये के वेतनमान में ग्रेड पे 1800/-रूपये सहित जिनकी शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष है तथा उनकी कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा हो, यह वरिष्ठता आधार पर तथा दुरुस्तगी आधार पर होगी।
इस पद्धति से चयनित प्रत्याशियों को परीवीक्षा अवधि के दौरान कम्प्यूटर पर एक टंकण परीक्षा 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में या 30 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में उत्तीर्ण करनी होगी। (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के समानान्तर होते हैं जो प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेषन की औसत पर हैं) जब तक सक्षम प्राधिकारी ने इसकी छूट प्रदान न की हो।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? : विभागीय स्थायीकरण/पदोन्नति समिति:-
1. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि.-अध्यक्ष
2. उपसचिव (पर्या0)-सदस्य
3. प्रशासनिक अधिकारी, दि.प्र.नि.समि.-सदस्य
4. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ-सदस्य
13. वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। : लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण)
एवं सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
(DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2016

No. DPCC/(3)(3)(8-21)/Admn-14/2025.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and in supersession of Delhi Pollution Control Committee, Recruitment Rules relating to the post of Lower Division Clerk published vide Notification No. F.23(67)/92/Env./PA/MS/DPCC/94/8 dated the 30th August, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the regulations regarding method of recruitment for the post of Lower Division Clerk in the Delhi Pollution Control Committee, as following namely:-

1. Short title and commencement. - (I) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Lower Division Clerk Recruitment Regulations, 2016.
II. They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay. - The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. Method of recruitment, age limit qualifications etc. - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. Disqualifications. - No person,-
a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.
5. Power to Relax. - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. Saving. - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band and grade pay/scale of pay	Whether selection Post or Non-selection Post
1	2	3	4	5
Lower Division Clerk.	*33 (2016) * subject to variation dependent on workload.	Category 'C.'	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs.1900/-.	Non-selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Between 18-27 years (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Government of India from time to time.) Note. -[The crucial date for determining the age limit shall be	(a) 12th Pass or equivalent qualification from a recognized Board or University; and (b) typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond	Not applicable	Two years	(i)85% by direct recruitment; (ii) 15% by promotion failing which by direct recruitment.

the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep].	to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word.			
---	---	--	--	--

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion Category 'C' employees working in DPCC in PB-1 5200-20200 with Grade Pay Rs.1800/- who possess qualification of Matric equivalent from recognized board/university and having three regular years services in the grade on the basis of seniority subject to rejection of Unfit. The candidates selected by this method shall be required to pass a test of the typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on Computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each work] during the period of probation unless exempted by the Competent Authority.	Group 'C' Departmental Confirmation/Promotion Committee consisting of: 1. MS, DPCC - Chairman. 2. D.S (Env.) - Member. 3. Administrative Officer, DPCC - Member. 4. Two experts to be nominated by Chairman - Members.	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor
 of the National Capital Territory of Delhi,
 S. M. ALI, Spl. Secy.(Env.)-cum-Member Secy.

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2016/पौष 5, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 286
No. 287]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2016/PAUSA 5, 1938	[N.C.T.D. No. 286

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2016

फा. सं. डीपीसीसी/ (3)(3)(8-16)/ प्रषा.-14/3541.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30 अगस्त, 1994 की अधिसूचना सं० फा० 23(67)/92/पर्या०/पीए/एमएस/डीपीसीसी/94/8 के अनुसार प्रकाशित **विधि सहायक** के पद से संबंधित दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, भर्ती नियमावली के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, अध्यक्ष दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **विधि सहायक** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**— (I) इन विनियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति **विधि सहायक**, भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।
(II) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यताएं.**—कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;

या

(ख) जिसने अपने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

6. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**—जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
7. **बचाव.**—इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | पदनाम | : | विधि सहायक |
| 2. | पदों की संख्या | : | * 05 (2016) |
| | | : | * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। |
| 3. | वर्गीकरण | : | वर्ग 'ख' |
| 4. | पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान | : | पे बैंड-2, रुपये 9300-34800+ग्रेड पे-4200/-रुपए |
| 5. | क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद | : | लागू नहीं |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा | : | 30 वर्ष से अधिक नहीं
(समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग इत्यादि की स्थिति में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) |
| | | | नोट : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है। |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ | : | अनिवार्य :-
(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि
(2) विधिक प्रैक्टिशनर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव या सरकारी विभाग में विधिक कार्य का एक वर्ष का अनुभव
नोट: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवार के मामले में डीपीसीसी बोर्ड के विवेक पर योग्यताएं शिथिलनीय
टीप-2 यदि चयन की किसी अवस्था में डीपीसीसी बोर्ड के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं डीपीसीसी बोर्ड के विवेक पर शिथिलनीय है। |
| 8. | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। | : | लागू नहीं |

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई है : दो वर्ष
10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
11. यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है : लागू नहीं
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? : विभागीय स्थायीकरण/पदोन्नति समिति
 - (1) अध्यक्ष, डीपीसीसी – अध्यक्ष
 - (2) सदस्य सचिव, डीपीसीसी – सदस्य
 - (3) उप-सचिव(पर्या0) – सदस्य
 - (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि – सदस्य
 - (5) उप-सचिव (सेवा विभाग), दिल्ली सरकार— सदस्य
13. वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। : लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से और उनके नाम पर,

एस. एम. अली, विशेष-सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

(DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2016

No. DPCC/(3)(3)(8-16)/Admn-14/3541.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and in supersession of Delhi Pollution Control Committee, Recruitment Rules relating to the post of Legal Assistant published vide Notification No. F.23(67)/92/Env./PA/MS/DPCC/94/8, dated the 30th August, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of the Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the regulations regarding method of recruitment for the post of Legal Assistant in the Delhi Pollution Control Committee, as following, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(I) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Legal Assistant Recruitment Regulations, 2016.
(II) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.**—The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications.**—No person,-
 - a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
 - b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band and grade pay/ scale of pay	Whether selection Post or Non-selection Post
1	2	3	4	5
Legal Assistant	*5(2016) *subject to variation dependent on workload.	Category 'B'.	Pay Band-2; Rs 9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4200/-	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Not exceeding 30 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.) Note: [The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep].	Essential : (i) Degree in Law from a recognised university; (ii) Three years experience as Legal Practitioner or one year experience in Legal work in a Government Department. Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of DPCC Board in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the DPCC Board in case of candidates belonging to SCs or STs, if at any stage of selection the Board is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possess- ing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable.	Two years.	By Direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee consisting of: 1. Chairman, DPCC -Chairman 2. Member Secretary, DPCC -Member 3. D. S. (Env.), GNCTD -Member 4. Representative of SC/ST of GNCTD -Member 5. D. S. (Services), GNCTD -Member	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2016/पौष 5, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 284
No. 285]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2016/PAUSA 5, 1938	[N.C.T.D. No. 284

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2016

फा. सं. डीपीसीसी/(3)(3)(8-18)/प्रषा.-14/3537.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **अनुभाग अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :—(I) इन विनियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति **अनुभाग अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक**, भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।
(II) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान** :—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यताएं** :— कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;
या

(ख) जिसने अपने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :- इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1. **पदनाम** : अनुभाग अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक
2. **पदों की संख्या** : * 03 (2016)
* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3. **वर्गीकरण** : वर्ग 'ख'
4. **पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान** : पे बैंड-2, रुपये 9300-34800 + ग्रेड पे-4600/-रुपए
5. **क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद** : चयन
6. **सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा** : लागू नहीं
7. **सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ** : लागू नहीं
8. **क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।** : लागू नहीं
9. **परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है** : लागू नहीं
10. **भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत** : पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11. **यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है** : पदोन्नति:-
पे बैंड-2 (9300-34800/-रुपये) ग्रेड पे- 4200/-रुपये में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले मुख्य लिपिक/सहायक।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निम्नलिखित अधिकारी:-

क. (1) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा

- (2) पे बैंड-2 9300-34800/-रुपये ग्रेड पे 4200/-रुपये के पदों में नियमित आधार पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा वाले या समकक्ष; तथा
(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि रखने वाले
(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)
नोट: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो : विभागीय स्थायीकरण/पदोन्नति समिति
इसकी संरचना क्या है? (1) अध्यक्ष, डीपीसीसी- अध्यक्ष
(2) सदस्य सचिव, डीपीसीसी- सदस्य
(3) उप-सचिव(पर्या.)- सदस्य
(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य
13. वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ : लागू नहीं
लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

एस. एम. अली, विशेष-सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2016

F. No. DPCC/(3)(3)(8-18)/Admn-14/ 3537.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Section Officer/Office Superintendent in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

- Short title and commencement.** - (I) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Section Officer/Office Superintendent Recruitment Regulations, 2016.
II. They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.** - The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications.** - No person,-
a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to the said posts:
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.
- Power to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band and grade pay/ scale of pay	Whether selection Post or Non-selection Post
1	2	3	4	5
Section Officer/ Office Superintendent.	*3(2016) *subject to variation depending on workload.	Category 'B'.	Pay Band-2; Rs 9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4600/-.	Selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: Head Clerk/Assistant with five years of regular service in posts in the Pay Band -2 Rs 9300- 34800/- with Grade Pay of Rs.4200/-. Deputation: Officers of Central / State Government/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) having atleast five years of regular service in posts in the Pay Band -2 Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs.4200/-, or equivalent; and (b) possessing a Bachelor's degree from a recognised University / Institution. (Period of deputation shall not ordinarily exceed three years.) Note: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Departmental Confirmation/Promotion Committee consisting of: 1. Chairman, DPCC - Chairman 2. Member Secretary, DPCC - Member 3. D.S (Env.), GNCTD - Member 4. Representative of SC/ST of GNCTD - Member	Not applicable

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]	दिल्ली, बुधवार, जनवरी 18, 2017/पौष 28, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 315
No. 16]	DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 18, 2017/PAUSA 28, 1938	[N.C.T.D. No. 315

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

(पर्यावरण विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जनवरी, 2017

सं. फा. डीपीसीसी / (3)(3)(8-23) / प्रशा.-14 / 70.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में निजी सचिव के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(I) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति निजी सचिव भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
(II) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यताएं.**—कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**—जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव.**—इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1. पदनाम : निजी सचिव
2. पदों की संख्या : * 02 (2017)
* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3. वर्गीकरण : वर्ग 'ख'
4. पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान : पे बैंड-2, 9300-34800/-रुपये जमा
ग्रेड पे-4600/-रुपये
5. क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद : चयन
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : लागू नहीं
8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। : लागू नहीं
9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई है : लागू नहीं
10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत : पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11. यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है : पदोन्नति:
पे बैंड-2, 9300-34800/-रुपये, ग्रेड पे- 4200/-रुपये में पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले आशुलिपिक ग्रेड-1।

नोट कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति:

केन्द्रीय/ राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन/ सांविधिक निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निम्नलिखित अधिकारी:-

क. (1) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा

(2) पे बैंड-2, 9300-34800 /—रुपये ग्रेड पे 4200 /—रुपये में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; तथा

(ख) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले:—

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि या समकक्ष

(2) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी आशुलिपि तथा टाइपिंग में क्रमशः न्यूनतम 120 शब्द प्रति मिनट की गति तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति में परीक्षा उत्तीर्ण हो, अथवा

कम्प्यूटर पर हिन्दी आशुलिपि तथा टाइपिंग में क्रमशः न्यूनतम 120 शब्द प्रति मिनट की गति तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति में परीक्षा उत्तीर्ण हो;

नोट: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।

नोट: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।

12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो : इसकी संरचना क्या है?

विभागीय पदोन्नति समिति:—

1. अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि.—अध्यक्ष
2. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. — सदस्य
3. उप-सचिव (पर्या0), दिल्ली सरकार — सदस्य
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का नामित—अन.जा./अनु.जन.—सदस्य

13. वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक : सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।

लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं
सदस्य सचिव

DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE

(Department of Environment)

NOTIFICATION

Delhi, the 16th January, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-23)/Admn-14/70—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Private Secretary in the Delhi Pollution Control Committee, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Private Secretary Recruitment Regulations, 2017.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. **Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay/Scale of Pay.**— The number of said posts, their classification and Pay Band and Grade Pay/Scale of Pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications.**—No person,-
- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
- shall be eligible for appointment to the said posts:
- Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.
5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay.	Whether selection Post or Non- selection Post.
1	2	3	4	5
Private Secretary.	*2 (2017) *subject to variation depending on workload.	Category 'B'.	Pay Band-2, Rs 9300-34800/- plus Grade Pay Rs.4600/-	Selection

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Stenographers Grade I with five years regular service in posts in the Pay Band-2, Rs 9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-. Note : Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite	Departmental Confirmation/ Promotion Committee consisting of: 1.Chairman, DPCC - Chairman 2.Member Secretary, DPCC-- Member 3.Deputy Secy.(Env.), GNCTD-- Member. 4.Nominee of GNCTD-SC/ST-- Member.	Not applicable.

qualify/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher Grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. Deputation: Officers of Central/State Government/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or department; Or (ii) With five years service after appointment to the post on regular basis in the Pay Band PB-2 Rs 9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/- or equivalent in parent cadre or department ; and (b) Possessing the following qualification :- (i) A Bachelor's Degree or equivalent from a recognized University/ Institution; (ii) Passing of the test in English Shorthand and Typing at a minimum speed of 120 wpm and 40 wpm on computer respectively; Or Passing of test in Hindi Shorthand and typing at a minimum speed of 120 wpm and 35 wpm on computer respectively; Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or any other Organization/Department of Central Government should ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications;. The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
--	--	--

By Order and in the Name of Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]	दिल्ली, बुधवार, जनवरी 18, 2017/पौष 28, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 316
No. 17]	DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 18, 2017/PAUSA 28, 1938	[N.C.T.D. No. 316

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2017

सं.फा.डीपीसीसी / (3)(3)(8-22) / प्रशा0-14 / 72.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में प्रधान निजी सचिव के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :-** (I) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रधान निजी सचिव भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
(II) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान :-** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यताएं :-** कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;
या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :— जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1. **पदनाम** : प्रधान निजी सचिव
2. **पदों की संख्या** : * 01(2017)
* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3. **वर्गीकरण** : वर्ग 'क'
4. **पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान** : पे बैंड-3, 15600-39100/—रुपये जमा
ग्रेड पे-5400/—रुपए
5. **क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद** : चयन
6. **सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा** : लागू नहीं
7. **सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ** : लागू नहीं
8. **क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।** : लागू नहीं
9. **परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है** : दो वर्ष
10. **भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत** : पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11. **यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है** : पदोन्नति:
पे बैंड-2, 9300-34800/—रुपये, ग्रेड पे-4600/—रुपये में पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले निजी सचिव।

नोट कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्त कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो

और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति:

केन्द्रीय/ राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन/ सांघिक निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निम्नलिखित अधिकारी:-

क. (1) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा

(2) पे बैंड-2, 9300-34800/-रुपये ग्रेड पे 4600/-रुपये में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पचात् तीन वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; तथा

(ख) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले:-

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि या समकक्ष

(2) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी आशुलिपि तथा टाइपिंग में क्रमशः न्यूनतम 120 शब्द प्रति मिनट की गति तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति में परीक्षा उत्तीर्ण हो, अथवा

कम्प्यूटर पर हिन्दी आशुलिपि तथा टाइपिंग में क्रमशः न्यूनतम 120 शब्द प्रति मिनट की गति तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति में परीक्षा उत्तीर्ण हो;

नोट: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।

नोट: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे

12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति : विभागीय पदोन्नति समिति:-
हो तो इसकी संरचना क्या है?

1. अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि.-अध्यक्ष
2. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उनका नामित-सदस्य
3. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. - सदस्य
4. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दि.प्र.नि. समि. के दो सदस्य-सदस्य
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन०जा०/अनु०जन० का प्रतिनिधि- सदस्य

13. वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए : लागू नहीं
संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श
लिया जाना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण)
एवं सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

(Delhi Pollution Control Committee)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-22)/Admn-14/72 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Pr. Private Secretary in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

1. Short title and commencement. - (i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Pr. Private Secretary Recruitment Regulations, 2017.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay. - The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age limit qualifications etc. - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No person,-

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax. - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band and grade pay/ scale of pay	Whether selection Post or Non-selection Post
1	2	3	4	5
Pr. Private Secretary.	*1(2017) *subject to variation depending on workload.	Category 'A'.	Pay Band-3; Rs 15600-39100/- plus Grade Pay Rs.5400/-.	Selection

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Private Secretary with three years regular service in posts in the Pay Band-2, Rs 9300-34800/- with Grade Pay Rs.4600/-. Note : Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualify/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. Deputation: Officers of Central / State Government/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or department; OR (ii) With three years of service after appointment to the post on regular basis in the Pay Band PB-2 Rs 9300-34800 /- with Grade Pay Rs.4600/- or equivalent in parent cadre or department; and (b) Possessing the following qualification :- (i) A Bachelor's Degree or equivalent from a recognized University/ Institution;	Departmental Promotion Committee:- - Chairman, DPCC - Chairman - Member Secretary, CPCB or his nominee- Member - Member Secretary, DPCC - Member - Two members of DPCC (to be nominated by the Chairman - Members - Representative of SC/ST of GNCTD - Member.	Not applicable.

(ii) Passing the test in English Shorthand and Typing at a minimum speed of 120 wpm and 40 wpm on computer respectively;

Or

Passing of test in Hindi Shorthand and typing at a minimum speed of 120 wpm and 35 wpm on computer respectively;

Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or any other Organization/Department of Central Government should ordinarily not exceed three years.

The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications;

The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

By Order and in the Name of Lt. Governor,
of National Capital Territory of Delhi,
S.M. ALI, Spl. Secy.(Env.)-cum-Member Secretary,

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2016/पौष 5, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 287
No. 288]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2016/PAUSA 5, 1938	[N.C.T.D. No. 287

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2016

फा. सं. डीपीसीसी/(3)(3)(8-9)/प्रशा.-14/3543.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में वैज्ञानिक सहायक के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.—(i) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति वैज्ञानिक सहायक, भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।
(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि.—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यताएं.—कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;
या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**—जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा छूट कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव.**—इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1. पदनाम : वैज्ञानिक सहायक
2. पदों की संख्या : * 04 (2016)
* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3. वर्गीकरण : वर्ग 'ख'
4. पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान : पे बैंड-2, 9300-34800/- रुपये जमा
ग्रेड पे-4200/- रुपए
5. क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद : चयन
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा : 30 वर्ष से अधिक नहीं
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अ0पि0व0/शारीरिक अक्षमता इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय)
टीप.—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : अनिवार्य :-
(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।
वांछनीय:
प्रयोगशाला कार्यों में दो वर्ष का अनुभव
8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। : आयु: नहीं
शैक्षणिक योग्यता: नहीं, लेकिन कम से कम न्यूनतम योग्यता अर्थात् विज्ञान में स्नातक की उपाधि हो।
9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है : दो वर्ष

10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत : (1) 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
(2) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
11. यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है : पदोन्नति:
पे बैंड-1 (5200-20200/- रुपये) ग्रेड पे- 2400/- रुपये में 10 वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक।
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण:
केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन/सांघिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निम्नलिखित अधिकारी:-
क. (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले;
अथवा
(ii) पे बैंड-1 5200-20200/- रुपये ग्रेड पे 2400/- रुपये के पदों में नियमित आधार पर कम से कम दस वर्ष की सेवा वाले या समकक्ष; तथा
(ख) विज्ञान में स्नातक उपाधिधारी तथा प्रयोगशाला कार्यों में अनुभव
(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)
नोट: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी शृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? : **विभागीय स्थायीकरण/पदोन्नति समिति**
(1) अध्यक्ष, डीपीसीसी - अध्यक्ष
(2) सदस्य सचिव, डीपीसीसी - सदस्य
(3) उप-सचिव (पर्याप्त) - सदस्य
(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य
13. वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। : लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से और उनके नाम पर,

एस. एम. अली, विशेष-सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
(DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2016

F. No. DPCC/(3)(3)(8-9)/Admn-14/3543.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Scientific Assistant in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(I) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Scientific Assistant Recruitment Regulations, 2016.
(II) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.**—The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications.**—No person,-
 - a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
 - b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
 shall be eligible for appointment to the said posts:
 Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.
5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band and grade pay/scale of pay	Whether selection Post or Non-selection Post
1	2	3	4	5
Scientific Assistant	*4(2016) *subject to variation depending on workload.	Category 'B'.	Pay Band-2; Rs 9300-34800/- plus Grade Pay Rs. 4200/-	Selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not exceeding 30 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.) Note: [The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul & Spiti district and Pangl Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep].	Essential: Master's degree in science from recognized University/ Institution. Desirable: Two Years experience in laboratory works.	Age : No. Educational Qualification: No, but possess at least minimum qualification i.e. Degree in Science.	Two years.	(i) 75% by promotion failing which by deputation; (ii) 25% by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: Sr. Lab Assistant with ten years of regular service in posts in the Pay Band-1 Rs 5200-20200/- with Grade Pay Rs. 2400/-. Transfer on Deputation: Officers of Central/State Government/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) having at least ten years of regular service in posts in the Pay Band -1, Rs. 5200-20200/- with Grade Pay Rs. 2400/-- or equivalent; and	Departmental Confirmation /Promotion Committee consisting of: - Chairman, DPCC -Chairman - Member Secretary, DPCC -Member D. S (Env.), GNCTD -Member. - Representative of SC/ST of GNCTD -Member.	Not applicable.

11	12	13
(b) possessing bachelor degree in science and experience in laboratory works. (Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years). Note: The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]	दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2017/चैत्र 17, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 10
No. 142]	DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2017/CHAITRA 17, 1939	[N.C.T.D. No. 10

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

दिल्ली, 6 अप्रैल, 2017

फा. सं. डीपीसीसी/(3)(3)(8-8)/प्रशा.-14/578.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30 अगस्त 1994 की अधिसूचना संख्या फा. 23(67)/92/पर्या./पीए/एमएस/डीपीसीसी/94/8 द्वारा प्रकाशित वैज्ञानिक के पद से संबंधित दिल्ली प्रदूषण समिति, भर्ती नियमावली के अधिक्रमण में, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद् द्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में वैज्ञानिक-‘बी’ पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :-** (I) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति वैज्ञानिक-‘बी’ भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
(II) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान :-** उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यताएं :-** कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;

या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :- इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	वैज्ञानिक-‘बी’ (पूर्व वैज्ञानिक)
2.	पदों की संख्या	:	* 4 (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग ‘क’
4.	पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बैंड-3, 15600-39100/-रूपये जमा ग्रेड पे-5400/-रूपए
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	35 वर्ष से अधिक नहीं (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनु.जा./ अनु.ज.जा./अ.पि.व./शारीरिक अक्षमता इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) टीप :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-‘पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न , हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य : (i)मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विज्ञान* में स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) प्रदूषण नियंत्रण या ख्याति प्राप्त संगठन/संस्थान में संबंधित विषय में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

		वांछनीय :- विज्ञान में डॉक्टरेट * विशेष विषय के बारे में अपेक्षित स्नातकोत्तर उपाधि का निर्णय प्रत्येक अवसर पर रिक्ति भरने के अनुसार अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	आयु: नहीं शैक्षणिक योग्यता: नहीं, परन्तु कम से कम न्यूनतम योग्यता अर्थात् विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि हो।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	(i) 50प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) 50प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	पदोन्नति:- पे बैंड-2, 9300-34800/-रुपये में ग्रेड पे 4200/-रुपये में आठ वर्षों की नियमित सेवा वाले वैज्ञानिक सहायक। नोट : कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/सांघिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निम्नलिखित अधिकारी:- क. (1) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) पे बैंड-2 9300-34,800रु0, ग्रेड पे 4200/-रुपये सहित पदों में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले अथवा समकक्ष तथा (ख) विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले तथा प्रदूषण नियंत्रण या संबंधित विषय में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव रखने वाले। टीप: केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी। (भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय पदोन्नति समिति:— 1. अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि.—अध्यक्ष 2. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उनका नामिती— सदस्य 3. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. —सदस्य 4. रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि— सदस्य विभागीय चयन समिति :— 1. अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि.—अध्यक्ष 2. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ— सदस्य 3. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उसका नामिती— सदस्य 4. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि.— सदस्य 5. रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि— सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
(DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)

NOTIFICATION

Delhi, the 6th April, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-8)/Admn-14/578.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and in supersession of the Delhi Pollution Control Committee, Recruitment Rules relating to the post of Scientist published vide Notification No. F.23(67)/92/Env./PA/MS/DPCC/94/8 dated the 30th August, 1994, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Scientist 'B' in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

- Short title and commencement.**—(i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Scientist 'B' Recruitment Regulations, 2017.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.—The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications.**—No person,—
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Posts.	Classification.	Pay band and grade pay/ scale of pay.	Whether selection Post or Non-selection Post.
1	2	3	4	5
Scientist 'B' (earstwhile Scientist).	*4(2017) *subject to variation depending on workload.	Category 'A'.	Pay Band-3, Rs 15600- 39100/- plus Grade Pay Rs.5400/-	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not exceeding 35 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.) Note. – The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep.	Essential: (i) Master's degree in science* from recognized University / Institution. (ii) At least three years experience in pollution control or related subject in an organization/ institution of repute. Desirable: Doctorate in Science. *The particular discipline in which Master's degree is required shall be decided by the Chairman, Delhi Pollution Control Committee on each occasion a vacancy is filled.	Age : No. Educational Qualification: No, but possess at least minimum qualification i.e. Master's Degree in Science.	Two years.	(i) 50% by promotion failing which by deputation; (ii) 50% by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Scientific Assistant with eight years of regular service in posts in the Pay Band -2, Rs 9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/-. Note : Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualify/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. Deputation: Officers of Central / State Government/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) having atleast eight years of regular service in analogous posts in the Pay Band 2 Rs 9300-34800/- with Grade Pay Rs.4200/- or equivalent; and (b)possessing Master's degree in Science and having atleast three years experience in Pollution control or related subjects. Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or any other Organization/Department of Central Government should ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications; The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion..	Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Chairman, DPCC -Chairman. 2. Member Secretary, CPCB or his Nominee -Member. 3. Member Secretary, DPCC -Member. 4. Representative of SC/ST of GNCTD -Member. Departmental Selection Committee:- 1. Chairman, DPCC- -Chairman. 2. Two experts nominated by the Chairman -Members. 3. Member Secretary, CPCB or his nominee -Member. 4. Member Secretary, DPCC -Member. 5. Representative of SC/ST of GNCTD -Member.	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2017/चैत्र 16, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 7
No. 139]	DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2017/CHAITRA 16, 1939	[N.C.T.D. No. 7

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2017

फा. सं. डीपीसीसी / (3)(3)(8-7) / प्रशा.-14 / 570.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर—I (वैज्ञानिक 'सी')** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(i) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति **वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर— I (वैज्ञानिक 'सी')** भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यताएं.**—कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;
या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :- इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर-I (वैज्ञानिक 'सी')
2.	पदों की संख्या	:	* 3 (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग 'क'
4.	पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बैंड-3, 15600-39100/-रुपये जमा ग्रेड पे-6600/-रुपए
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	40 वर्ष तक (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनु0जा0 / अनु0ज0जा0 / अ0पि0व0 / शारीरिक अक्षमता इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) टिप्पण:- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि* के साथ विज्ञान में डॉक्टरेट सहित प्रदूषण नियंत्रण या संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव * विशेष विषय के बारे में अपेक्षित स्नातकोत्तर उपाधि का निर्णय प्रत्येक अवसर पर रिक्ति भरने के अनुसार अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु: नहीं शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, अथवा विज्ञान में डॉक्टरेट

9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	सीधी भर्ती वालों के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	(i) 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	:	पदोन्नति:— पे बैंड-3, 15600-39100/-रुपये में ग्रेड पे 5400/-रुपये में पाँच वर्षों की नियमित सेवा वाले वैज्ञानिक-‘बी’। नोट:—कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ स्वायत्त निकाय/सांघिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निम्नलिखित अधिकारी:— क. (1) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) पे बैंड-3 15600-39,100रु0, ग्रेड पे 5400/-रुपये सहित पदों में कम से कम पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले अथवा समकक्ष तथा (ख) विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले तथा प्रदूषण नियंत्रण या संबंधित विषय में कम से कम आठ वर्षों का अनुभव रखने वाले। टिप्पण : केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी। (भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी शृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय पदोन्नति समिति 1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि. —अध्यक्ष

		2. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उनका नामिती —सदस्य 3. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. —सदस्य 4. रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि —सदस्य विभागीय चयन समिति :- 1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि. —अध्यक्ष 2. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ —सदस्य 3. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उसका नामिती —सदस्य 4. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि.— सदस्य 5. रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि —सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

(DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-7)/Admn-14./ 570.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Senior Scientist Level -I (Scientist 'C') in the Delhi Pollution Control Committee, namely:—

- Short title and commencement.**—(i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Senior Scientist Level -I (Scientist 'C') Recruitment Regulations, 2017.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.**—The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications.**—No person,-
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ pay scale	Whether Selection Post or Non-Selection Post
1	2	3	4	5
Senior Scientist Level -I (Scientist 'C')	*3 (2017) * subject to variation dependent on workload	Category 'A'	Pay Band -3 Rs 15600-39100/- plus Grade Pay Rs. 6600	Selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Upto 40 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.) Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul&Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep]	Doctorate in science with Master degree in Science* with two years experience in the field of pollution control or related field. *The particular discipline in which Master's degree is required shall be decided by the Chairman, Delhi Pollution Control Committee on each occasion a vacancy is filled. •	Age: No Ednl. Qlfn.: Master degree in Science from recognized University/ Insitution OR Doctorate in science.	Two years for direct recruits.	(1)75% by promotion failing which by deputation; (2) 25% by deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: Scientist 'B' with five years regular service in the Pay Band -3 Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs. 5400/-. Note : Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualify/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. Deputation: Officers of Central/State Government/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) having atleast five years of regular service in posts in the Pay Band-3 Rs 15600-39100 with Grade Pay of Rs.5400/- or equivalent; and (b) possessing Master's degree in Science and having atleast eight years of experience in pollution control or related subjects. Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or any other Organization/Department of Central Government should ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications;. The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion..	Departmental Promotion Committee:— 1. Chairman, DPCC —Chairman. 2. Member Secretary, CPCB or his Nominee —Member 3. Member Secretary, DPCC —Member 4. Representative of SC/ST of GNCTD —Member Departmental Selection Committee:- 1. Chairman, DPCC —Chairman 2. Two experts nominated by the Chairman —Members 3. Member Secretary, CPCB or his nominee —Member 4. Member Secretary, DPCC —Member 5. Representative of SC/ST of GNCTD —Member	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2017/चैत्र 17, 1939

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 9

No. 141]

DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2017/CHAITRA 17, 1939

[N.C.T.D. No. 9

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

दिल्ली, 6 अप्रैल, 2017

फा. सं. डीपीसीसी/(3)(3)(8-6)/प्रशा.-14/576.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर-II (वैज्ञानिक 'डी')** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(I) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति **वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर-II (वैज्ञानिक 'डी')** भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
(II) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यताएं.**—कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;

या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**—जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव.**—इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1. पदनाम : वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर-II (वैज्ञानिक 'डी')
2. पदों की संख्या : * 2 (2017)
* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3. वर्गीकरण : वर्ग 'क'
4. पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान : पे बैंड-3, 15600-39100/-रुपये जमा
ग्रेड पे-7600/-रुपए
5. क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन : चयन
एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ : लागू नहीं
8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। : लागू नहीं
9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है : लागू नहीं
10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत : पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11. यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है : पदोन्नति:-
पे बैंड-3, 15600-39100/-रुपये ग्रेड पे 6600/-रुपये में पाँच वर्षों की नियमित सेवा वाले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर-I (वैज्ञानिक 'सी')।

नोट कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निम्नलिखित अधिकारी:-

क. (1) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा

(2) पे बैंड-3 15600-39,100 रु., ग्रेड पे 6600/-रुपये सहित पदों में कम से कम पॉच वर्ष की नियमित सेवा वाले अथवा समकक्ष तथा

(ख) विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले तथा प्रदूषण नियंत्रण या संबंधित विषय में कम से कम तेरह वर्षों का अनुभव रखने वाले अथवा विज्ञान में डॉक्टरेट

टीप: केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।

(भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।

12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो : विभागीय पदोन्नति समिति
इसकी संरचना क्या है?
1. अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि.-अध्यक्ष
 2. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो सदस्य- सदस्य
 3. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उसका नामिती-सदस्य
 4. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि.- सदस्य
 5. रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि- सदस्य
13. वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ : लागू नहीं
लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
(DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)

NOTIFICATION

Delhi, the 6th April, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-6)/Admn-14./576.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Senior Scientist Level -II (Scientist 'D') in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(I) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Senior Scientist Level -II (Scientist 'D') Recruitment Regulations, 2017.
(II). They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.**—The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications.**—No person,—
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to the said posts:
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.
5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/ pay scale .	Whether Selection Post or Non-Selection Post.
1	2	3	4	5
Senior Scientist Level -II (Scientist 'D').	*2 (2017) * subject to variation dependent on workload.	Category 'A'.	Pay Band -3, Rs 15600-39100/- plus Grade Pay Rs. 7600/-.	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Senior Scientist Level –I (Scientist ‘C’) with five years regular service in the PB-3, Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs. 6600/-. Note : Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualify/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. Deputation: Officers of Central / State Government/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) having atleast five years of regular service in posts in the Pay Band 3, Rs 15600-39100/- with Grade Pay Rs. 6600/- or equivalent; and (b) possessing Master's degree in Science and having atleast thirteen years of experience in pollution control or related subjects. OR Doctorate in Science. Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or any other Organization/Department of Central Government should ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications; The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion	Departmental Promotion Committee consisting of :- 1. Chairman, DPCC – Chairman. 2. Two members to be nominated by the Chairman – Member. 3. Member Secretary, CPCB or his Nominee –Member. 4. Member Secretary, DPCC –Member. 5. Representative of SC/ST of GNCTD –Member.	Not applicable.

will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion..		
---	--	--

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 2017/श्रावण 11, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 191
No. 292]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2017/SRAVANA 11, 1939	[N.C.T.D. No. 191

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग
(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)
अधिसूचना

दिल्ली, 1 अगस्त, 2017

सं. फा. डीपीसीसी(3)(3)(8-2)/प्रषा.-14/1327.—जल (प्रदूषण निवारण एवंनियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 2 के खंड (i) के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियन्ता** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :- (i) इन विनियमों को **वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियन्ता** भर्ती विनियम, 2017 कहा जाए।
(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर**:-उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर के साथ संबद्ध इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :-उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यताएं** :-कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;

या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :—जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :—इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियन्ता
2.	पदों की संख्या	:	*06 (2017) *इसमें परिवर्तन कार्य भार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (पूर्व संशोधित पे बैंड-3, 15600-39100 /- रुपये + ग्रेड पे 7600 /-रुपये)
5.	चयन पद या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	50 वर्ष से अधिक नहीं (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व./शारीरिक अक्षमता इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) टीप :—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	प्रदूषण नियंत्रण/संबंधित क्षेत्र में दस वर्षीय अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से संबंधित क्षेत्र अभियांत्रिकी* में स्नातकोत्तर की उपाधि, परन्तु यह अनुभव स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् हो। * अभियांत्रिकी के विशेष विषय के बारे में अपेक्षित उपाधि का निर्णय प्रत्येक बार वास्तविक मांग के आधार पर रिवित्त भरने के अनुसार अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुमोदन से निर्णय लिया जाएगा।

8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु: नहीं शैक्षणिक योग्यता : हाँ, अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि की न्यूनतम योग्यता
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती के लिये एक वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	(i) 66 2/3 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रति नियुक्ति द्वारा (ii) 33 1/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	:	पदोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में पे (पूर्व संशोधित पे बैंड-3, 15600-39100/-रुपये में 6600/-रुपये ग्रेड पे सहित) पर्यावरणीय अभियन्ता के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले। नोट: कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निम्नलिखित अधिकारी:- क. (1) नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में पे (पूर्व संशोधित पे बैंड-3, 15600-39100/-रुपये में 6600/-रुपये ग्रेड पे सहित) के पदों में कम से कम पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले अथवा समकक्ष तथा (ख) कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले टीप: केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व धारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु

		विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	विभागीय पदोन्नति समिति:— 1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि. —अध्यक्ष 2. अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने वाले दो सदस्य —सदस्य 3. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उनका नामिती—सदस्य 4. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. —सदस्य 5. रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि —सदस्य विभागीय चयन समिति :— 1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि. —अध्यक्ष 2. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ—सदस्य 3. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उसका नामिती—सदस्य 4. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. —सदस्य 4. रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि —सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण)—सह—सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

(DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st August, 2017

F. No. DPCC/(3)(3)(8-2)/Admn-14/1327.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Sr.Environmental Engineer in the Delhi Pollution Control Committee, namely:—

- Short title and commencement.— (i) These regulations may be called Sr. Environmental Engineer Recruitment Regulations, 2017.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit qualifications etc.— The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications.— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax.— Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. Saving.— Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in pay matrix	Whether Selection Post or Non-Selection Post
1	2	3	4	5
Senior Environmental Engineer.	*6(2017) * subject to variation depending on workload.	Category 'A'.	Level 12 in Pay matrix. (Pre-revised Pay Band- 3Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs.7600/-)	Selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Not exceeding 50 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.) Note. – The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	Master's degree in Engineering* in related field, from a recognized University or Institution with ten years' experience in pollution control or related field subject to after acquiring the Master's Degree. *The particular discipline(s) of Engineering in which a degree is required will be decided each time a vacancy is filled depending on the actual requirements, with the approval of the Chairman, DPCC.	Age : No. E.Q. : Yes to the extent of minimum qualification of degree in engineering.	One year for direct recruits.	(i) 66 2/3% by Promotion failing which by deputation; (ii) 33 1/3% by Direct Recruitment.

Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep.				
---	--	--	--	--

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Having five years regular service in the post of Environmental Engineer in Level 11 of Pay matrix (pre-revised PB-3, Rs.15600-39100/- with Grade pay Rs. 6600/-) Note : Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation: Officers of Central/State Government/Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) having atleast five years of regular service in posts in Level 11 of Pay matrix (pre revised Pay Band PB-3: Rs 15600-39100/- with Grade Pay Rs.6600/- or equivalent; and (b) possessing qualification and experience as per column No 7. Note :Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or any other Organization/Department of Central Government should ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for	Departmental Promotion Committee consisting of :- - Chairman, DPCC —Chairman. - Two members to be nominated by the Chairman —Members. - Member Secretary, CPCB or his Nomine — Member. - Member Secretary, DPCC —Member. - Representative of SC/ST of GNCTD —Member. Departmental Selection Committee consisting of :- - Chairman, DPCC —Chairman - Two experts nominated by the Chairman —Members - Member Secretary, CPCB or his nominee —Member - Member Secretary, DPCC —Member - Representative of SC/ST of GNCTD —Member.	Not applicable.

deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications;.

The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion..

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy.(Env.)-cum-Member Secy.

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 6, 2016/भाद्र 15, 1938

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 174

No. 186]

DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2016/BHADRA 15, 1938

[N.C.T.D. No. 174

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

दिल्ली, 5 सितम्बर, 2016

सं. फा. डीपीसीसी(3)(3)(8-20)/प्रशा.-14/2027.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30 अगस्त 1994 की अधिसूचना संख्या फा. 23(67)/92/पर्या./पीए/एमएस/डीपीसीसी/94/8 द्वारा प्रकाशित उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित दिल्ली प्रदूषण समिति, भर्ती नियमावली के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाये जाने वाली बातों को छोड़कर, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में उच्च श्रेणी लिपिक पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.—**(I) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति उच्च श्रेणी लिपिक भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।
(II) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान.—**उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि.—**उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यताएं :—**कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;
या
(ख) जिसने अपने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति**—जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव**—इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1. पदनाम : उच्च श्रेणी लिपिक
2. पदों की संख्या : * 16(2016)
*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3. वर्गीकरण : वर्ग 'ग'
4. पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान : पे बैंड-1, 5200-20200/-रुपये जमा
ग्रेड पे-2400/-रुपए
5. क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैरचयन पद : गैर-चयन
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा : 18-27 वर्ष
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनु. जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व./शारिरिक अक्षमता इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय)
टीपः—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं : लागू नहीं।
8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। : लागू नहीं।
9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है : दो वर्ष

10. **भर्ती की पद्धति:** सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या : पदोन्नति द्वारा।
प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
11. यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती : पदोन्नति:—
होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ पे बैंड—1 में 5200—20200/—रुपये, ग्रेड पे स्थानान्तरण किया जाना है 1900/—रुपये में आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के निम्न श्रेणी लिपिक।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना : विभागीय स्थायीकरण/पदोन्नति समिति:—
क्या है? 1. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि. समि.—अध्यक्ष
2. उपसचिव (पर्या.)—सदस्य
3. प्रशासनिक अधिकारी, दि.प्र.नि.समि.—सदस्य
4. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ—सदस्य
13. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा : लागू नहीं
आयोग का परामर्श लिया जाना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण), एवं सदस्य सचिव दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

(DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)

NOTIFICATION

Delhi, the 5th September, 2016

No. DPCC/(3)(3)(8-20)/Admn-14/2027.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and in supersession of Delhi Pollution Control Committee, Recruitment Rules relating to the post of Upper Division Clerk published vide Notification No. F.23(67)/92/Env./PA/MS/DPCC/94/8, dated the 30th August, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the regulations regarding method of recruitment for the post of Upper Division Clerk in the Delhi Pollution Control Committee, as following namely:-

- Short title and commencement.**—(I) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Upper Division Clerk Recruitment Regulations, 2016.
(II). They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.** - The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications.** - No person,-
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band and grade pay/ scale of pay	Whether selection Post or Non-selection Post
1	2	3	4	5
Upper Division Clerk	*16(2016) *subject to variation dependent on workload.	Category 'C'	Pay Band-1; Rs 5200-20200/- plus Grade Pay Rs.2400/-	Non-selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Between 18-27 years (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.) Note. -[The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul&Spiti district and Pangti Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep].	Not applicable	Not applicable	Two years	By Promotion

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Lower Division Clerks with eight years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB -1, Rs.5200-20200/- with grade pay Rs.1900/-.	Departmental Confirmation/ Promotion Committee consisting of: 1.MS, DPCC - Chairman. 2.D.S (Env.) - Member. 3.Admn. Officer, DPCC - Member. 4.Two experts to be nominated by Chairman -Members.	Not applicable .

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy. Delhi Pollution Control Committee